कार्यालय प्रथम अपीलीय अधिकारी, जिला कलेक्टर, दौसा

श्री दीपक कुमार शर्मा पुत्र श्री कालूराम शर्मा, ग्राम पोस्ट खेडला खुर्द पोस्ट हींगोटिया तहसील लवाण जिला दौसा (राज0)

बनाम

सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति अधिकारी) उपखण्ड अधिकारी, दौसा

अपील सं0 17/2018

<u>निर्णय</u> दिनांक 07.05.2018

संक्षिप्त विवरण अपील इस प्रकार है कि प्रार्थी द्वारा सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति अधिकारी) उपखण्ड अधिकारी, दौसा से सूचना/नकल हेतु दिनांक 24.02.2018 को आवेदन पत्र प्रस्तुत किया। प्रार्थी को वॉछित सूचना/नकल निर्धारित समयावधि में प्राप्त नहीं हुई। इसी से पीडित होकर यह अपील पेश की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की गई । सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति अधिकारी) उपखण्ड अधिकारी, दौसा को आवेदन पत्र की छाया प्रति प्रेषित कर संबंधित को वॉछित नकल/सूचना उपलब्ध करवाई जाकर जॉच टिप्पणी मॅगवाई गई।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति अधिकारी) उपखण्ड अधिकारी, दौसा द्वारा उनके पत्रांकः पीए/एफ–34/भू0अवा0(2)(2)/2018/1984 दिनांक 26.04.18 द्वारा इस कार्यालय को सूचना भिजवाते हुए आवेदक को पूर्व में भिजवाई गई सूचना दिनांक 09.03.2018 की छाया प्रति भी संलग्न भिजवाई गई है। जिसके द्वारा आवेदक को कार्यालय में उपस्थित होकर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन कर वॉछित सूचना प्राप्त करने हेतु अंकित किया गया है। इससे स्पष्ट होता है कि आवेदक जानबूझकर उपस्थित नहीं हुए और अपील दायर करदी गई। ऐसी स्थिति में आवेदक कार्यालय में उपस्थित होकर वॉछित सूचना का अवलोकन कर नियमानुसार सूचना प्राप्त करने के लिए स्वतंत्र है। अपील अपीलांट खारिज योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है। संबंधित को निर्णय प्रति प्रेषित करें। बाद पूर्ति पत्रावली प्रविष्ठ लेख भण्डार हो ।

(नरेश कुमार शर्मा)
जिला कलेक्टर, दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official